

1/143 + 1/140
130
273



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 2010/वैशाख 8, 1932

No. 114]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 2010/VAISAKHA 8, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2010

सं. एल-1(1)/2009-केंविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 79(1)(ग) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुसूचित विनियम प्रभार तथा संबंधित विषय) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुसूचित विनियम प्रभार तथा संबंधित विषय) (संशोधन) विनियम, 2010 है।
- (2) ये विनियम 3-5-2010 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन

(i) खण्ड 1 के उप-खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ड) "विक्रेता" से फायदाग्राही के सिवाय ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अल्पकालिक निर्बाध पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच तथा दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए लागू विनियमों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत क्रय करता है";

(ii) खण्ड 1 के उप-खण्ड (ड) के पश्चात्, एक नया उप-खण्ड (डड) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(डड) इन विनियमों के संबंध में "गेमिंग" से उत्पादन केन्द्र या विक्रेता द्वारा यूआई प्रभारों के माध्यम से असम्यक् वाणिज्यिक लाभ कमाने के लिए घोषित क्षमता की जानबूझकर गलत घोषणा अभिप्रेत है।"

(iii) खण्ड 1 के उप-खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ड) "क्रोसा" से उत्पादन केंद्र के सिवाय, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच तथा दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए लागू विनियमों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत का प्रदाय करता है;

(iv) खंड 1 के उपखंड (ड) में, "15 मिनट का ब्लाक" शब्दों के स्थान पर, "15 मिनट का समय-ब्लाक" शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल विनियम के विनियम 4 का संशोधन :

विनियम 4 के खंड (ii) में, निर्बाध पहुंच या मध्य-कालिक पहुंच" शब्दों के स्थान पर, "अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच या मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच" शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन :

मूल विनियम के विनियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5. अननुसूचित विनियम (यूआई) प्रभार :

- (1) सभी समय-ब्लाकों के लिए अननुसूचित विनियम के लिए प्रभार विक्रेता या फायदाग्राही द्वारा अधिक निकासी तथा उत्पादन केंद्र या विक्रेता द्वारा कम अंतःक्षेपण तथा विक्रेता या फायदाग्राही द्वारा कम निकासी तथा उत्पादन केंद्र या क्रेता द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के लिए संदेय होंगे तथा इस विनियम के खंड (2) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट दरों पर समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर तय किए जाएंगे :

परंतु यह कि ईंधन के मूल्य में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयला या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्रों के लिए अननुसूचित विनियम हेतु प्रभार, जब वार्षिक उत्पादन अधिक हो या अननुसूचित उत्पादन से कम हो; इस विनियम के खंड (3) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार, इन विनियमों की अनुसूची क में यथा विनिर्दिष्ट, केंद्र पर से अधिक नहीं होंगे :

परंतु यह और कि समय-ब्लाक में केंद्र की घोषित क्षमता का 105% से अधिक या संपूर्ण दिन औसत घोषित क्षमता का 101% से अधिक में हाइड्रो उत्पादन केंद्र से भिन्न उत्पादन केंद्र द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनियम हेतु प्रभार "50.02 एचजेड से निम्न तथा 50.00 एचजेड से अधिक" के ग्रीड फ्रिक्वेंसी अंतराल के तत्स्थानी अननुसूचित विनियम के प्रभारों से अधिक नहीं होंगे;

परंतु यह और कि अनुसूची के 10% से अधिक या 250 मेगावाट, जो भी कम हो, समय-ब्लाक में विक्रेता या फायदाग्राहियों द्वारा कम निकासी के लिए अननुसूचित विनियम हेतु प्रभार इस विनियम के खंड (4) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथा विनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होंगे :

परंतु यह भी कि अनुसूची के 120% से अधिक क्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनियम के लिए प्रभार, समय-ब्लाक में संस्थापित क्षमता के 105% की तत्स्थानी एक्स- बस उत्पादन की सीमा या संपूर्ण दिन की संस्थापित क्षमता के 101% के अधीन रहते हुए, इस विनियम के खंड (5) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची क में यथा विनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होंगे।

परंतु यह भी कि समय-ब्लाक में केंद्र की संस्थापित क्षमता के 105% की तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन या संपूर्ण दिन संस्थापित क्षमता 101% से अधिक क्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनियम के लिए प्रभार 50.02 एचजेड से निम्न तथा 50.0 एचजेड से अनिम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल की तत्स्थानी अननुसूचित विनियम के प्रभारों से अधिक नहीं होंगे।

(2) अननुसूचित विनियम के लिए प्रभारों का अवधारण निम्नलिखित पद्धति के अनुसार किया जाएगा, --

(क) अननुसूचित विनियम के लिए प्रभार 50.2 एचजेड तथा उससे ऊपर की ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर शून्य होंगे।

(ख) 50.02 एचजेड से निम्न तथा 50.0 एचजेड से अनिम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल की तत्स्थानी अननुसूचित विनियम के लिए प्रभार अगस्त, 2009 से जनवरी, 2010 की छह मास की अवधि के लिए कोयला/लिग्नाइट आधारित उत्पादन केंद्रों की औसत ऊर्जा प्रभार के विचलन मूल्य पर आधारित होंगे तथा यूआई कीमत विक्टर पर विनिश्चय के लिए समुचित रूप से समायोजित किए जाएंगे।

(ग) तदनुसार, यूआई कीमत विक्टर 50.2 एचजेड से 50.0 एचजेड के बीच 0.02 एचजेड के फ्रिक्वेंसी अंतरालों के लिए स्टेप में होगा।

(घ) 49.70 एचजेड से निम्न तथा 49.68 एचजेड से अनिम्न के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतरालों में अननुसूचित विनियम के लिए प्रभार ऐसे होंगे जिससे वे नियत तथा ऊर्जा प्रभार को पूरा करने के पश्चात ग्रिड की सहायता के लिए कोयला आधारित उत्पादन केंद्र, जिसमें आयातित कोयला भी है, को पर्याप्त प्रोत्साहन दे सकें।

- (ड) तदनुसार, यूआई कीमत विक्टर 50.0 एचजेड से 49.70 एचजेड के बीच 0.02 एचजेड की फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए स्टेप में होगा।
- (च) 49.5 एचजेड में निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर अननुसूचित विनिमय प्रभार अगस्त, 2009 से जनवरी, 2010 की छह मास की अवधि के लिए उत्पादन केंद्रों की औसत ऊर्जा प्रभारों की उच्चतर दर पर आधारित होंगे तथा यूआई कीमत विक्टर पर विनिश्चय के लिए आगे के लिए समुचित रूप से समायोजित किए जाएंगे।
- (छ) यूआई विक्टर 49.70 एचजेड से निम्न तथा 49.68 एचजेड के अनिम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल में अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार या 49.50 एचजेड से निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल में अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार की तत्स्थानी 49.70 एचजेड से 49.50 एचजेड के बीच 0.02 एचजेड की फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए स्टेप में होगा।
- (3) ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयले या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्रों के लिए अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभारों हेतु कैप दर वही होगी जो इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथाविनिर्दिष्ट 49.70 से निम्न तथा 49.68 से अनिम्न के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के प्रभारों के लिए है।
- (4) अनुसूची के 10% से अधिक या 250 मेगावाट, जो भी कम हो, विक्रेता या फायदाग्राहियों द्वारा कम निकासी के लिए अननुसूचित विनिमय के लिए कैप दर वही होगी जो इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथाविनिर्दिष्ट 49.70 एचजेड से निम्न तथा 49.68 एचजेड से अनिम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के प्रभारों के लिए है।
- (5) समय-ब्लॉक में केंद्र की संस्थापित क्षमता के 105% या संपूर्ण उन संस्थापित क्षमता के 101% की तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन की सीमा के अधीन रहते हुए, अनुसूची के 120% से अधिक क्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय हेतु कैप दर वही होगी जो इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथाविनिर्दिष्ट 49.70 एचजेड से निम्न तथा 49.68 एचजेड से अनिम्न के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के प्रभारों के लिए है।
- (6) 49.5 एचजेड और उससे निम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर, 50.02 एचजेड से निम्न तथा 50.5 एचजेड से अनिम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतरालों पर तथा 49.70 एचजेड से निम्न तथा 49.68 एचजेड से अनिम्न के ग्रिड के प्रतिस्पर्धा बोली मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन, आयोग द्वारा सुसंगत वृद्धि सूची के आधार पर प्रत्येक छह मास में अधिसूचित किया जाएगा और इन विनियमों की अनुसूची "क" तदनुसार पुनः अधिसूचित की जाएगी।

6. मूल विनियम के विनियम 6 का संशोधन :

- (i) विनियम 6 के खंड (2) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह कि प्रचालन के दिन को उत्पादन अनुसूची में पुनरीक्षण, यथास्थिति, ग्रिड कोड तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।”

- (ii) विनियम 6 के खंड (3) तथा (4) का लोप किया जाएगा।

- (iii) विनियम 6 के खंड (5) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(5) ग्रिड फ्रिक्वेंसी में परिवर्तनों तथा प्रवाह उतार-चढ़ाव के प्रत्युत्तर में, हाइड्रो उत्पादन केंद्र दी गई अनुसूची में ग्रिड अवरोधों के बिना परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा संपूर्ण दिन के लिए प्रदाय की वास्तविक कुल ऊर्जा तथा अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) के बीच अंतर के लिए प्रतिकर संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा चौथे दिन (दिन प्लस 3) की आगे के दिन की अनुसूची में से दिया जाएगा।”

- (iv) विनियम 6 में एक नया खंड (6) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“आयोग गेमिंग के आरोप पर, उत्पादन कंपनी या विक्रेता के विरुद्ध स्वप्रेरणा से या आरएलडीसी द्वारा फाइल की गई याचिका पर कार्यवाही आरंभ कर सकेगा तथा यदि अपेक्षित हो, ऐसी जांच का आदेश दे सकेगा जो आयोग द्वारा विनिश्चय किया जाए। जब उपरोक्त जांच में गेमिंग का आरोप साबित हो जाता है तो आयोग अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी गेमिंग की अवधि के दौरान ऐसी उत्पादन कंपनी या क्रेता द्वारा प्राप्त किसी भी अननुसूचित विनियम को अनुज्ञात नहीं करेगा।”

7. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन :

विनियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“7. यूआई मात्रा पर सीमा तथा सीमा का अतिक्रमण करने के परिणाम :

- (1) किसी समय-ब्लॉक के दौरान जब फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो किसी फायदाग्राही या विक्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी उसकी अनुसूचित निकासी के 12% या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी, तथा जब

फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो, सभी समय-ब्लकों के लिए दैनिक कुल आधार पर 3% से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : इस खंड में विनिर्दिष्ट सीमाएं राज्य में अंतःराज्यिक इकाइयों, जिसमें वितरण कंपनियां भी हैं, तथा अन्य अंतःराज्यिक विक्रेताओं द्वारा अधिक निकासी की कुल राशि को लागू होंगी तथा अपने-अपने राज्य की अंतर-राज्यिक सीमा को लागू होंगी।

- (2) किसी समय-ब्लक के दौरान उत्पादन केंद्र या क्रेता द्वारा विद्युत का कम अंतःक्षेपण जब फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो, ऐसे उत्पादन केंद्र या क्रेता के अनुसूचित अंतःक्षेपण के 12% से अधिक नहीं होगा तथा सभी समय-ब्लकों के लिए, जब फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो, दैनिक कुल आधार पर 3% से अधिक नहीं होगा।
- (3) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन यथा अनुबद्ध 49.5 एचजेड की फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी अननुसूचित विनियम प्रभारों के अतिरिक्त, अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार इस विनियम में खंड (3क) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट दरों पर, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, प्रत्येक समय-ब्लक के लिए विद्युत की अधिक निकासी या कम अंतःक्षेपण के लिए लागू होंगे :

परंतु यह कि किसी ऐसे समय-ब्लक के दौरान, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयले या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्रों द्वारा विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार इस विनियम के खंड (3ख) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार, इन विनियमों की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट दर पर होंगे।

स्पष्टीकरण : अतिरिक्त अनुसूचित विनियम प्रभार, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, अन्य क्षेत्रों से संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र द्वारा कुल अधिक निकासी को लागू नहीं होंगे।

- (3क) प्रत्येक समय-ब्लक के लिए, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, विद्युत की अधिक निकासी तथा कम अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभारों को ग्रिड अनुशासन के लिए विक्रेता तथा फायदाग्राहियों तथा क्रेता और उत्पादन केंद्रों के आचरण पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए, 49.5 एचजेड से निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी में अननुसूचित विनियमों के प्रभारों की प्रतिशतता के रूप में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा :

परंतु यह कि आयोग अधिक निकासी तथा कम अंतःक्षेपण के लिए तथा 49.5 एचजेड से निम्न विभिन्न फ्रिक्वेंसी पर विभिन्न अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

- (3ख) ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयले या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्र द्वारा ऐसे समय-ब्लाक के दौरान, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार ग्रिड अनुशासन के संबंध में उत्पादन केंद्र के आचरण पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए, कैप दर की प्रतिशतता के रूप में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परंतु यह कि आयोग कम अंतःक्षेपण तथा 49.5 एचजेड से निम्न विभिन्न फ्रिक्वेंसी पर विभिन्न अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

- (4) विनियम 5 के अधीन अननुसूचित विनिमय प्रभारों का संदाय तथा उपरोक्त विनियम 7(3) के अधीन अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार किसी ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उद्गृहीत किए जाएंगे जो प्रत्येक ऐसे समय-ब्लाक के लिए, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो, इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अधिक निकासी या कम अंतःक्षेपण के उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 142 के अधीन समुचित समझी जाए।
- (5) आयोग, यदि उचित समझे, प्रत्येक समय-ब्लाक के दौरान जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो तथा 49.5 एचजेड तक हो, विद्युत की अधिक निकासी या कम अंतःक्षेपण के लिए समय-समय पर, अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार विहित कर सकेगा।
- (6) विद्युत की अधिक निकासी/कम अंतःक्षेपण और कम निकासी तथा अधिक अंतःक्षेपण के लिए प्रभारों की संगणना अपनी-अपनी प्रादेशिक ऊर्जा समिति के सचिवालय द्वारा "प्रादेशिक ऊर्जा लेखा" की तैयारी के लिए प्रयुक्त पद्धति के अनुसार की जाएगी।
- (7) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र मासिक आधार पर, यूआई लेखाओं के अभिलेखों को तैयार करेगा तथा उन्हें अपनी वेबसाइट पर डालेगा जिसमें उन समय ब्लाकों, जिनमें ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड थी तथा पृथक् रूप से 49.7 से 49.5 एचजेड के बीच थी, के लिए अधिक निकासी/कम अंतःक्षेपण की मात्रा तथा प्रत्येक फायदाग्राही के लिए संदत्त तथा उत्पादन केंद्र या क्रेता के लिए प्राप्त यूआई प्रभारों की तत्स्थानी रकम विनिर्दिष्ट होगी।

8. मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन :

मूल विनियम के विनियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“9. अननुसूचित विनियम प्रभार लेखांकन :

- (1) इन विनियमों के अधीन उद्गृहीत अननुसूचित विनियम प्रभार, जिसमें अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार भी है, का विवरण अपने-अपने प्रादेशिक ऊर्जा समिति (आरपीसी) के सचिवालय द्वारा साप्ताहिक आधार पर संबंधित आरएलडीसी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा रविवार की मध्य रात्रि की समाप्ति को समाप्त होने वाली सात दिन की अवधि के लिए मंगलवार तक सभी संघटकों को जारी किया जाएगा।
- (2) इन विनियमों के अधीन उद्गृहीत अननुसूचित विनियम प्रभारों, जिसमें अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार भी हैं, तथा विलंब संदाय के लिए प्राप्त ब्याज, यदि कोई हो, के मद्दे सभी संदाय “प्रादेशिक अननुसूचित विनियम पूल खाता निधि” नामक निधि में जमा किए जाएंगे, जिसे इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा बनाए रखा जाएगा तथा प्रचालित किया जाएगा :

परंतु यह कि आयोग आदेश द्वारा अपने-अपने “प्रादेशिक अननुसूचित विनियम पूल खाता निधि” को प्रचालित करने तथा बनाए रखने के लिए किसी अन्य इकाई को निदेश दे सकेगा :

परंतु यह और कि अपने-अपने प्रादेशिक ऊर्जा समिति के सचिवालय द्वारा अननुसूचित विनियम प्रभारों तथा अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभारों के मूल घटक तथा ब्याज घटक के लिए पृथक् लेखा बहियां बनाए रखी जाएंगी।

- (3) प्रत्येक क्षेत्र के “प्रादेशिक अननुसूचित विनियम पूल निधि खाते” में प्राप्त सभी संदायों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - (क) पहले यूआई प्रभारों पर उपगत किसी लागत या खर्च या अन्य प्रभारों के लिए,
 - (ख) दूसरा अतिशोध्य या शास्ति ब्याज, यदि लागू हो,
 - (ग) अगला सामान्य ब्याज,
 - (घ) अंत में, यूआई तथा अतिरिक्त यूआई प्रभार।

स्पष्टीकरण : क्षेत्रीय इकाई से एकत्रित किसी भी अतिरिक्त यूआई प्रभार को उस संबंधित क्षेत्र, जहां क्षेत्रीय इकाई अवस्थित है, के 'प्रादेशिक अननुसूचित विनियम पूल खाता निधि' में रखा जाएगा।"

9. मूल विनियमों के विनियम 10 का संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"10. अननुसूचित विनियम प्रभारों के संदाय की अनुसूची तथा संदाय प्रतिभूति :

- (1) यूआई प्रभारों के संदाय को उच्च पूर्विकता दी जाएगी तथा संबंधित संघटक अपने-अपने आरपीसी सचिवालय द्वारा अननुसूचित विनियम प्रभारों, जिसमें अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार भी हैं, का विवरण जारी करने के 10 (दस) दिन के भीतर उपदर्शित रकम का संदाय संबंधित क्षेत्र के "प्रादेशिक अननुसूचित विनियम पूल खाता निधि" में करेगा।
- (2) यदि अननुसूचित विनियम प्रभारों जिसमें अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार भी हैं, के संदाय में दो से अधिक दिन, अर्थात् अपने-अपने आरपीसी सचिवालय द्वारा विवरण जारी करने की तारीख से 12 (बारह) दिन के बाद, का विलंब किया जाता है तो व्यतिक्रमी संघटक को विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 0.04% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करना होगा।
- (3) यूआई प्रभारों के मद्दे किसी रकम को प्राप्त करने के लिए हकदार इकाइयों को सभी संदाय संबंधित क्षेत्र के "प्रादेशिक अननुसूचित विनियम पूल खाता निधि" में संदायों की प्राप्ति के दो कार्य दिवस के भीतर किए जाएंगे :

परंतु यह कि यदि यूआई प्रभारों के विवरण को जारी करने की तारीख से 12 दिन के बाद अपने-अपने प्रादेशिक यूआई पूल खाता निधि तथा उस पर ब्याज, यदि कोई हो, में यूआई संदाय में विलंब होता है तो प्रादेशिक इकाइयां, जिन्हें यूआई संदाय या उस पर ब्याज प्राप्त करना है, क्षेत्र के प्रादेशिक यूआई पूल खाता में उपलब्ध अतिशेष, यदि कोई हो, से जमा करेंगी। यदि उपलब्ध अतिशेष संघटकों को संदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो प्रादेशिक यूआई पूल खाता निधि से संदाय निधि में उपलब्ध अतिशेष से आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

परंतु यह और कि "प्रादेशिक यूआई पूल खाता निधि" को संदाय में विलंब के लिए संदेय ब्याज का दायित्व, इस तथ्य के होते हुए भी, ब्याज का संदाय न करने तक रहेगा कि उन संघटकों, जिन्हें संदाय प्राप्त करना है, ने भागतः या पूर्णतः "प्रादेशिक यूआई पूल खाता" से संदत्त किया है।

- (4) ऐसी सभी इकाइयों, जिनको पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अननुसूचित विनियम प्रभारों का संदाय करना था, से संबंधित आरएलडीसी के पक्ष में पूर्व वित्तीय वर्ष में इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पंद्रह दिन के भीतर अपनी औसत संदेय साप्ताहिक यूआई देयता के 110% के बराबर प्रत्ययपत्र (एलसी) खोलने की अपेक्षा की जाएगी :

परंतु यह कि यदि कोई क्षेत्रीय इकाई, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी समय पर अननुसूचित विनियम प्रभारों, जिसमें अतिरिक्त विनियम प्रभार भी हैं, का संदाय करने में असफल रहती है तो उससे संदाय की देय तारीख से 15 दिन के भीतर अपने-अपने क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र के पक्ष में साप्ताहिक बकाया देयता का 110% के बराबर प्रत्यय-पत्र खोलने की अपेक्षा की जाती है :

परंतु यह कि एलसी रकम में वर्ष के दौरान किसी सप्ताह में संदेय साप्ताहिक यूआई देयता के 110% तक की वृद्धि की जाएगी यदि यह पूर्व प्रत्यय-पत्र की रकम के 50% से अधिक है।

दृष्टांत : यदि वर्ष 2009-10 के दौरान क्षेत्रीय इकाई की औसत संदेय साप्ताहिक यूआई देयता 20 करोड़ रुपए है तो क्षेत्रीय इकाई 2010-11 में 22 करोड़ रुपए के लिए एलसी खोलेगी। यदि वर्ष 2010-11 में किसी सप्ताह के दौरान साप्ताहिक संदेय देयता 35 करोड़ रुपए है जो पूर्व वित्तीय वर्ष की औसत संदेय साप्ताहिक देयता के 50% से अधिक है तो, संबंधित क्षेत्रीय इकाई 13 करोड़ रुपए उसमें जमा करके एलसी की रकम को बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए करेगी।

- (5) यूआई प्रभारों के विवरण के जारी करने की तारीख से 12 दिन के विनिर्दिष्ट समय के भीतर "यूआई पूल खाता निधि" में संदाय करने में असफल रहने पर, आरएलडीसी व्यतिक्रम तक संबंधित संघटक की एलसी को भुनाने का हकदार होगा तथा संबंधित संघटक 3 दिन के भीतर एलसी रकम की क्षतिपूर्ति करेगा।

10. मूल विनियम के विनियम 11 का संशोधन

मूल विनियम के विनियम 11 के उपखंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“11. यूआई के माध्यम से एकत्रित निधि का उपयोजन

(1) उत्पादन केंद्र तथा फायदाग्राहियों के अननुसूचित विनिमय प्रभारों के दावों का अंतिम निपटान करने के पश्चात यूआई पूल खाता निधि में शेष रकम को ऐसी पृथक निधि में अंतरित किया जाएगा जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा उसका उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों के लिए आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा :

(क) अनुकूल महत्व की पारेषण स्कीमों के लिए विनिधान की सर्विसिंग, परंतु यह कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से ऐसी अनुकूल महत्व की अंतःराज्यिक पारेषण स्कीमों, जिसका उपयोग बेहतर स्तर तक किया जा रहा हो, की पहचान करेगी तथा आरंभिक वर्षों के दौरान पूंजी लागत की सर्विसिंग के लिए आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी। परंतु यह और कि जब ऐसी पारेषण लाइन या पारेषण प्रणाली, जिसमें अनुकूल महत्व की पारेषण स्कीमें भी हैं, का उपयोग, बेहतर ढंग से किया जाता है तो ऐसी स्कीम की लागत की वसूली आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार स्कीम के उपयोक्ताओं से की जाएगी।

(ख) ग्रिड की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना जिसमें प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा तैयार प्रक्रिया के अनुसार पहचानी गई निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी के दौरान “भार उत्पादन संतोलन” सम्मिलित है किन्तु जो उस तक ही सीमित नहीं हैं।

(2) इस विनियम के खंड (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आबंटन योग्य निधि की रकम का विनिश्चय आयोग द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।”

अनुसूची “क”

1. अननुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभार :

विनियम 5 के खंड (1) के अनुसार, विक्रेता या फायदाग्राही द्वारा अधिक निकसी के लिए और उत्पादन केंद्र या क्रेता द्वारा कम अंतःक्षेपण के लिए संदेय तथा विक्रेता या फायदाग्राही द्वारा कम निकासी तथा उत्पादन केंद्र या क्रेता द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के लिए प्राप्य सभी समय-ब्लाकों के लिए अननुसूचित विनियम की प्रभारों को नीचे दी गई दर पर समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर तय किया जाएगा :-

समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचजेड)		
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से अनिम्न	यूआई दर (पैसा प्रति केडब्ल्यूएच)
	50.20	0.00
50.20	50.18	15.50
50.18	50.16	31.00
50.16	50.14	46.50
50.14	50.12	62.00

50.12	50.10	77.50
50.10	50.08	93.00
50.08	50.06	108.50
50.06	50.04	124.00
50.04	50.02	139.50
50.02	50.00	155.00
50.00	49.98	170.50
49.98	49.96	186.00
49.96	49.94	201.50
49.94	49.92	217.00
49.92	49.90	232.50
49.90	49.88	248.00
49.88	49.86	263.50
49.86	49.84	279.00
49.84	49.82	294.50
49.82	49.80	310.00
49.80	49.78	325.50
49.78	49.76	341.00
49.76	49.74	356.50
49.74	49.72	372.00
49.72	49.70	387.50
49.70	49.68	403.00
49.68	49.66	450.00
49.66	49.64	497.00
49.64	49.62	544.00
49.62	49.60	591.00
49.60	49.58	638.00
49.58	49.56	685.00
49.56	49.54	732.00
49.54	49.52	779.00
49.52	49.50	826.00
49.50		873.00

(प्रत्येक 0.02 एचजेड स्टेप 50.2-49.7 एचजेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 15.5 पैसे/केडब्ल्यूएच तथा 49.7-49.50 एचजेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 47.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के बराबर है)।

2. यूआई कैप दर :

- (क) विनियम 5 के खंड (1) तथा (3) के अनुसार, ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयला या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले सभी उत्पादन केंद्रों के लिए 403.0 पैसे/केडब्ल्यूएच होगी यदि वास्तविक उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से उच्चतर हो या कम हो।

- (ख) विनियम 5 के खंड (1) तथा (4) के अनुसार, अनुसूची के 10% से अधिक या 250 मेगावाट, जो भी कम हो, विक्रेता या फायदाग्राहियों द्वारा कम निकासी के लिए यूआई कैप दर 403.0 पैसे/केडब्ल्यूएच होगी।
- (ग) विनियम 5 के खंड (1) तथा (5) के अनुसार, अनुसूची के 120% से अधिक क्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए यूआई दर 403.0 पैसे/केडब्ल्यूएच होगी जो समय-ब्लाक में केंद्र की संस्थापित क्षमता के 105% तथा संपूर्ण दिन की संस्थापित क्षमता के 101% की तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन की सीमा के अधीन रहते हुए होगी।

3. अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार :

- (क) विनियम 7 के खंड (3क) के अनुसार, प्रत्येक समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो तथा 49.2 एचजेड तक हो, के लिए विद्युत की अधिक निकासी के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार 49.5 एचजेड से निम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 873.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के अननुसूचित विनियम प्रभार के 40% के समतुल्य होंगे। प्रत्येक ऐसे समय-ब्लाक के लिए, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो तथा 49.2 एचजेड तक हो, के लिए विद्युत के कम अंतःक्षेपण हेतु अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार 49.5 एचजेड से निम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 873.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के अननुसूचित विनियम प्रभार के 20% के समतुल्य होंगे :

परंतु यह कि प्रत्येक समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो, के लिए विद्युत की अधिक निकासी के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार 49.5 एचजेड की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 873.0 पैसे/केडब्ल्यूएच अननुसूचित विनियम प्रभार के 100% के समतुल्य होगी। प्रत्येक ऐसे समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो, के लिए विद्युत के कम अंतःक्षेपण के अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार 49.5 एचजेड की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 873.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के अननुसूचित विनियम प्रभार के 40% के बराबर होगी।

- (ख) विनियम 7 के खंड (3ख) के अनुसार, ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयले या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्रों के लिए, उस समय-ब्लाक के दौरान, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार 403.0 पैसे/केडब्ल्यूएच की यूआई कैप दर के 20% के समतुल्य होंगे :

परंतु यह कि ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयले या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्रों के लिए

उस समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो, विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनियम प्रभार 403.0 पैसे/केडब्ल्यूएच की यूआई कैप दर के 40% के समतुल्य होंगे।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

टिप्पणी : मूल विनियम तारीख 30-3-2009 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2010

No. L-1(1)/2009-CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 read with Section 79(1)(c) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Interchange charges and related matters) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as “the principal regulations”), namely :

1. Short title and commencement.-

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Interchange charges and related matters) (Amendment) Regulations, 2010.
- (2) These regulations shall come into force with effect from 3.5.2010.

2. Amendment of Regulation 2 of the Principal Regulations

- (i) Sub-clause (e) of Clause 1 shall be substituted as under, namely:

“(e) ‘**buyer**’ means a person, other than the beneficiary, buying electricity, through a transaction scheduled in accordance with the

regulations applicable for short term open access, medium term open access and long term access;”

- (ii) After sub-clause (e) of Clause 1, a new sub-clause (ee) shall be inserted as under:

“(ee) ‘gaming’ in relation to these regulations, shall mean an intentional mis-declaration of declared capacity by any generating Station or seller in order to make an undue commercial gain through Unscheduled Interchange charges.”

- (iii) In sub-clause (m) of clause 1, shall be substituted as under, namely:

“(m) ‘**seller**’ means a person, other than a generating station, supplying electricity, through a transaction scheduled in accordance with the regulations applicable for short term open access, medium term open access and long term access;”

- (iv) In sub-clause (n) of clause 1, the words “block of 15 minutes” shall be substituted with the words “a time block of 15 minutes”.

3. Amendment of Regulation 4 of the Principal Regulations

In clause (ii) of regulation 4, the words “open access or medium term access” shall be substituted by the words “short term open access or medium term open access”.

4. Amendment of Regulation 5 of the Principal Regulations.-

Regulation 5 of the principal regulations shall be substituted as under, namely,

"5. Unscheduled Interchange (UI) Charges:

(1) The charges for the Unscheduled Interchanges for all the time-blocks shall be payable for over drawal by the buyer or the beneficiary and under-injection by the generating station or the seller and receivable for under-drawal by the buyer or the beneficiary and over-injection by the generating station or the seller and shall be worked out on the average frequency of a time-block at the rates specified in the Schedule A of these regulations as per the methodology specified in clause(2) of this regulation.

Provided that the charges for the Unscheduled Interchange for the generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel, when actual generation is higher or lower than the scheduled generation, shall not exceed the Cap Rate as specified in the Schedule A of these regulations as per the methodology specified in clause (3) of this regulation,

Provided further that the Charges for the Unscheduled Interchange for the injection by a generating station other than the hydro generating station in excess of 105% of the Declared Capacity of the station in a time block or in excess of 101% of the average

Declared Capacity over a day shall not exceed the charges for the Unscheduled Interchange corresponding to grid frequency interval of 'below 50.02 Hz and not below 50.0 Hz'.

Provided also that the charges for the Unscheduled Interchange for the under draws by the buyer or the beneficiaries in a time block in excess of 10% of the schedule or 250 MW whichever is less, shall not exceed the Cap Rate as specified in the Schedule A of these regulations as per the methodology specified in clause (4) of this regulation.

Provided also that the charges for the Unscheduled Interchange for the injection by the seller in excess of 120% of the schedule subject to a limit of ex-bus generation corresponding to 105% of the Installed Capacity of the station in a time block or 101% of the Installed Capacity over a day shall not exceed the Cap Rate as specified in the Schedule A of these regulations as per the methodology specified in clause (5) of this regulation.

Provided also that the Charges for the Unscheduled Interchange for the injection by the seller in excess of ex-bus generation corresponding to 105% of the Installed Capacity of the station in a time block or 101% of the Installed Capacity over a day shall not exceed the charges for the Unscheduled Interchange corresponding to grid frequency interval of 'below 50.02 Hz and not below 50.0 Hz'.

(2) The Charge for Unscheduled Interchange shall be determined in accordance with the following methodology:

- (a) The Charge for Unscheduled Interchange shall be zero at grid frequency of 50.2 Hz and above.
- (b) The Charge for Unscheduled Interchange corresponding to grid frequency interval of 'below 50.02 Hz and not below 50.0 Hz' shall be based on the median value of the average energy charge of coal/lignite based generating stations for the six months period of August 2009 to January 2010 and suitably adjusted upward to decide on the UI price vector.
- (c) The UI Price Vector shall accordingly, be in steps for a frequency interval of 0.02 Hz between 50.2 Hz to 50.0 Hz.
- (d) The Charge for Unscheduled Interchange in grid frequency interval of 'below 49.70 Hz and not below 49.68 Hz' shall be such that it provides sufficient incentive to the generating station based on coal including imported coal to support the grid after meeting fixed and energy charge.
- (e) The UI Price Vector shall accordingly be in steps for a frequency interval of 0.02 Hz between 50.0 Hz to 49.70 Hz.
- (f) The Charge for Unscheduled Interchange at grid frequency below 49.5 Hz shall be based on the highest of the average energy charges of generating stations for the six months period of August 2009 to January 2010 and suitably adjusted upward to decide on the UI price vector.

- (g) The UI Price Vector shall be in steps for a frequency interval of 0.02 Hz between 49.70 Hz to 49.50 Hz corresponding to the Charge for Unscheduled Interchange in grid frequency interval of 'below 49.70 Hz and not below 49.68 Hz' and Charge for Unscheduled Interchange in grid frequency interval of below 49.50 Hz.
- (3) The Cap rate for the charges for the Unscheduled Interchange for the generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel shall be the same as the charges for the Unscheduled Interchange corresponding to grid frequency interval of 'below 49.70 Hz and not below 49.68 Hz' as specified in Schedule "A" of these Regulations.
- (4) The Cap Rate for the Unscheduled Interchange for the under draws by the buyer or the beneficiaries in excess of 10% of the schedule or 250 MW whichever is less shall be the same as the charges for the Unscheduled Interchange corresponding to grid frequency interval of 'below 49.70 Hz and not below 49.68 Hz' as specified in Schedule "A" of these Regulations.
- (5) The Cap Rate for the Unscheduled Interchange for the injection by the seller in excess of 120% of the schedule subject to a limit of ex-bus generation corresponding to 105% of the Installed Capacity of the station in a time block or 101% of the Installed Capacity over a day shall be the same as the charges for the Unscheduled Interchange corresponding to grid frequency interval of 'below 49.70 Hz and not below 49.68 Hz' as specified in Schedule "A" of these Regulations.

(6) The Charge for Unscheduled Interchange at grid frequency of '49.5 Hz and below', at grid frequency interval of 'below 50.02 Hz and not below 50.0 Hz' and at grid frequency interval of 'below 49.70 Hz and not below 49.68Hz' shall be re-notified every six months based on the relevant escalation indices notified by the Commission under the Competitive bidding guidelines of Government of India and Schedule "A" of these regulations shall be re-notified accordingly.

6. Amendment of Regulation 6 of the Principal Regulations.-

(i) The proviso to clause (2) of Regulation 6 shall be substituted as under:

"Provided that the revision in generation schedule on the day of operation shall be permitted in accordance with the procedure specified under the Grid Code and Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008, as the case may be."

(ii) The clauses (3) and (4) of Regulation 6 shall be omitted.

(iii) The clause (5) of Regulation 6 shall be substituted as under:

"(5) In response to changes in grid frequency and inflow fluctuations, the hydro generating stations shall be free to deviate from the given schedule, without causing grid constraint, and compensation for the difference between the actual net energy supplied and the scheduled

energy (ex-bus) over a day shall be made by the concerned Regional Load Despatch Centre in the day-ahead schedule for the 4th day (day plus 3).”

(iv) A new clause (6) shall be inserted in Regulation 6 as under:

“(6)The Commission may, either suo motu or on a petition made by RLDC, initiate proceedings against any generating company or seller on charges of gaming and if required, may order an inquiry in such manner as decided by the Commission. When the charge of gaming is established in the above inquiry, the Commission may, without prejudice to any other action under the Act or regulations thereunder, disallow any Unscheduled Interchange charges received by such generating company or the seller during the period of such gaming.”

7. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulations.-

Regulation 7 shall be substituted as under:

“7. Limits on UI volume and consequences of crossing the limits.-

(1) The over-drawal of electricity by any beneficiary or a buyer during a time block shall not exceed 12% of its scheduled drawal or 150 MW, whichever is lower, when frequency is below 49.7 Hz and 3% on a daily aggregate basis for all the time blocks when the frequency is below 49.7 Hz

Explanation: The limits specified in this clause shall apply to the sum total of over-drawal by all the intra-State entities in the

State including the distribution companies and other intra-State buyers, and shall be applicable at the inter-State boundary of the respective State.

- (2) The under-injection of electricity by a generating station or a seller during a time-block shall not exceed 12% of the scheduled injection of such generating station or seller when frequency is below 49.7 Hz and 3% on daily aggregate basis for all the time blocks when the frequency is below 49.7 Hz
- (3) In addition to Unscheduled Interchange Charges corresponding to frequency of 49.5 Hz as stipulated under Regulation 5 of these regulations, Additional Unscheduled Interchange Charge shall be applicable for over-drawal or under-injection of electricity for each time block when grid frequency is below 49.5 Hz at the rates specified in the schedule A of these regulations in accordance with the methodology specified in clause (3a) of this regulation. .

Provided further that Additional Unscheduled Interchange Charge for under-injection of electricity, during the time-block when grid frequency is below 49.5 Hz, by the generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel shall be at the rates specified in the schedule A of these regulations in accordance with the methodology specified in clause (3b) of this regulation.

Explanation: Additional Unscheduled Interchange Charges shall not be applicable for net over draws by a region as a whole from other regions when grid frequency is below 49.5 Hz.

- (3a) The additional Unscheduled Interchange charge for over-drawals and under-injection of electricity for each time block when grid frequency is below 49.5 Hz shall be as specified by the Commission as a percentage of the charges for the Unscheduled Interchange in grid frequency 'below 49.5 Hz' with due consideration to the behavior of the buyer and beneficiaries and sellers and the generating stations towards grid discipline.

Provided that the Commission may specify different additional Unscheduled Interchange charges for over draws and under injections and at different frequencies below 49.5 Hz.

- (3b) The additional Unscheduled Interchange charge for under-injection of electricity during the time-block when grid frequency is below 49.5 Hz, by the generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel shall be as specified by the Commission as a percentage of the Cap Rate, with due consideration to the behavior of the generating stations towards grid discipline.

Provided that the Commission may specify different additional Unscheduled Interchange charges for under injections at different frequencies below 49.5 Hz.

- (4) Payment of Unscheduled Interchange Charges under Regulation 5 and the Additional Unscheduled Interchange Charge under Regulation 7(3) above, shall be levied without prejudice to any action that may be considered appropriate under Section 142 of the Act for contravention of the limits of over-drawal or under-generation as specified in these regulations, for each time block when frequency is below 49.7 Hz.
- (5) The Commission may, if considered necessary, prescribe from time to time Additional Unscheduled Interchange Charge for over-drawal or under-injection of electricity during each time-block when grid frequency is below 49.7 Hz and up to 49.5 Hz.
- (6) The charges for over-drawal / under-injection and under-drawal/ over-injection of electricity shall be computed by the secretariat of the respective Regional Power Committee in accordance with the methodology used for preparation of 'Regional Energy Accounts'.
- (7) The Regional Load Despatch Centre shall prepare and publish on its website the records, on monthly basis, of the UI Accounts, specifying the quantum of over-drawal/under-generation and corresponding amount of UI charges paid for each beneficiary or buyer and received for each generating station or seller for the time-blocks when grid frequency was below 49.5 Hz and between 49.7-49.5 Hz separately."

8. Amendment of Regulation 9 of the Principal Regulations –

Regulation 9 of the principal regulations shall be substituted as under, namely

“9. Unscheduled Interchange Charges Accounting

- (1) A statement of Unscheduled Interchange charges including Additional Unscheduled Interchange charges levied under these regulations shall be prepared by the Secretariate of the respective Regional Power Committee on weekly basis based on the data provided by the concerned RLDC and shall be issued to all constituents by Tuesday, for seven day period ending on the penultimate Sunday mid-night.
- (2) All payments on account of Unscheduled Interchange charges including Additional Unscheduled Interchange charges levied under these regulations and interest, if any, received for late payment shall be credited to the funds called the “Regional Unscheduled Interchange Pool Account Fund”, which shall be maintained and operated by the concerned Regional Load Despatch Centres in each region in accordance with provisions of these regulations.

Provided that the Commission may by order direct any other entity to operate and maintain the respective “Regional Unscheduled Interchange Pool Account Funds”:

Provided further that separate books of accounts shall be maintained for the principal component and interest component of Unscheduled Interchange charges and Additional Unscheduled

Interchange charges by the Secretariate of the respective Regional Power Committees.

(3) All payments received in the "Regional Unscheduled Interchange Pool Account Fund" of each region shall be appropriated in the following sequence:

- (a) First towards any cost or expense or other charges incurred on recovery of UI charges
- (b) Next towards over dues or penal interest, if applicable
- (c) Next towards normal interest
- (d) Lastly, towards UI and additional UI charges.

Explanation: Any additional UI charge collected from a regional entity shall be retained in the "Regional Unscheduled Interchange Pool Account Fund" of the concerned region where the regional entity is located."

9. Amendment of Regulation 10 of the Principal Regulations -

Regulation 10 of the principal regulations shall be substituted as under, namely -

"10. Schedule of Payment of Unscheduled Interchange Charges and Payment Security

- (1) The payment of UI charges shall have a high priority and the concerned constituent shall pay the indicated amounts within 10 (ten) days of the issue of statement of Unscheduled Interchange

charges including Additional Unscheduled Interchange charges by the Secretariate of the respective Regional Power Committee into the "Regional Unscheduled Interchange Pool Account Fund" of the concerned region.

- (2) If payments against the Unscheduled Interchange charges including Additional Unscheduled Interchange charges are delayed by more than two days, i.e., beyond twelve (12) days from the date of issue of the statement by the Secretariate of the respective Regional Power Committee, the defaulting constituent shall have to pay simple interest @ 0.04% for each day of delay.
- (3) All payments to the entities entitled to receive any amount on account of UI charges shall be made within 2 working days of receipt of the payments in the "Regional Unscheduled Interchange Pool Account Fund" of the concerned region.

Provided that in case of delay in the UI Payment into the respective regional UI Pool Account Fund and interest there on if any, beyond 12 days from the date of issue of the Statement of UI charges then the regional entities who have to receive UI payment or interest thereon shall be paid from the balance available if any, in the regional UI Pool Account Fund of the region. In case the balance available is not sufficient to meet the payment to the constituents, then the payment from the regional UI Pool Accounts Fund shall be made on pro rata basis from the balance available in the Fund.

Provided further that the liability to pay interest for the delay in payments to the "Regional UI Pool Account Fund" shall remain till interest is not paid; irrespective of the fact that constituents who have to receive payments have been paid from the "Regional UI pool account Fund" in part or full.

- (4) All regional entities which had at any time during the previous financial year failed to make payment of Unscheduled Interchange charges including Additional Unscheduled Interchange charges within the time specified in these regulations shall be required to open a Letter of Credit (LC) equal to 110% of its average payable weekly UI liability in the previous financial year, in favour of the concerned RLDC within a fortnight from the date these Regulations come into force.

Provided that if any regional entity fails to make payment of Unscheduled Interchange Charges including Additional Unscheduled Interchange Charges by the time specified in these regulations during the current financial year, it shall be required to open a Letter of Credit equal to 110% of weekly outstanding liability in favour of respective Regional Load Despatch Centre within a fortnight from the due date of payment.

Provided further that LC amount shall be increased to 110% of the payable weekly UI liability in any week during the year, if it exceeds the previous LC amount by more than 50%.

Illustration: If the average payable weekly UI liability of a regional entity during 2009-10 is Rs. 20 crore, the regional

entity shall open LC for 22 crore in 2010-11. If the weekly payable liability during any week in 2010-11 is Rs. 35 crore which is more than 50% of the previous financial year's average payable weekly liability, the concerned regional entity shall increase the LC amount to Rs. 35 Crore by adding Rs. 13 Crore.

- (5) In case of failure to pay into the "UI Pool Account Fund" within the specified time of 12 days from the date of issue of statement of UI charges, the RLDC shall be entitled to encash the LC of the concerned constituent to the extent of the default and the concerned constituent shall recoup the LC amount within 3 days.

10. Amendment of Regulation 11 of the Principal Regulations -

Sub- clause (1) of Regulation 11 of the principal regulations shall be substituted as under, namely

"11. Application of fund collected through UI

- (1) The amount left in the UI pool account fund after final settlement of claims of Unscheduled Interchange charges of the generating station and the beneficiaries shall be transferred to a separate fund as may be specified by the Commission and shall be utilised, with the prior approval of the Commission for either or both of the following activities:
 - (a) Servicing of investment for transmission schemes of strategic importance, provided that the Central Transmission Utility in consultation with a Central Electricity Authority shall identify the inter-State transmission schemes of strategic importance, not being utilised up to optimum level and seek prior approval of the Commission for servicing of capital costs during the initial years. Provided further that when utilisation of such

transmission line or transmission system included in the transmission schemes of strategic importance reaches the optimum level of utilisation, the cost of such scheme shall be recovered from the users of the scheme in accordance with the methodology specified by the Commission

- (b) Providing ancillary services including but not limited to 'load generation balancing' during low grid frequency as identified by the Regional Load Despatch Centre, in accordance with the procedure prepared by it, to ensure grid security and safety:
- (2) The amount of fund, allocable for the purposes specified under clause (1) of this regulation, shall be decided by the Commission from time to time."

SCHEDULE "A"

1. Unscheduled Interchange (UI) Charges:

In terms of clause (1) of Regulation 5, the charges for Unscheduled Interchanges for all the time-blocks payable for over-drawal by the buyer or the beneficiary and under-injection by the generating station or the seller and receivable for under-drawal by the buyer or the beneficiary and over-injection by the generating station or the seller shall be worked out on the average frequency of the time-block at the rates given hereunder:-

<i>Average frequency of time block (Hz)</i> <i>Below</i>	<i>Not below</i>	<i>UI Rate</i> <i>(Paise per kWh)</i>
	50.20	0.00
50.20	50.18	15.50
50.18	50.16	31.00
50.16	50.14	46.50

50.14	50.12	62.00
50.12	50.10	77.50
50.10	50.08	93.00
50.08	50.06	108.50
50.06	50.04	124.00
50.04	50.02	139.50
50.02	50.00	155.00
50.00	49.98	170.50
49.98	49.96	186.00
49.96	49.94	201.50
49.94	49.92	217.00
49.92	49.90	232.50
49.90	49.88	248.00
49.88	49.86	263.50
49.86	49.84	279.00
49.84	49.82	294.50
49.82	49.80	310.00
49.80	49.78	325.50
49.78	49.76	341.00
49.76	49.74	356.50
49.74	49.72	372.00
49.72	49.70	387.50
49.70	49.68	403.00
49.68	49.66	450.00

49.66	49.64	497.00
49.64	49.62	544.00
49.62	49.60	591.00
49.60	49.58	638.00
49.58	49.56	685.00
49.56	49.54	732.00
49.54	49.52	779.00
49.52	49.50	826.00
49.50		873.00

(Each 0.02 Hz step is equivalent to 15.5 paise/kWh in the 50.2-49.7 Hz frequency range and 47.0 Paise/kWh in the 49.7-49.50 Hz frequency range).

2. Unscheduled Interchange Cap Rates

(a) In terms of clauses (1) and (3) of Regulations 5, the UI Cap Rate shall be 403.0 Paise/kWh for all generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel, in case when actual generation is higher or lower than the scheduled generation.

(b) In terms of clauses (1) and (4) of Regulations 5, the UI Cap Rate shall be 403.0 Paise/kWh for the under draws by the buyer or the beneficiaries in excess of 10% of the schedule or 250 MW whichever is less.

(c) In terms of clauses (1) and (5) of Regulations 5, the UI Cap Rate shall be 403.0 Paise/kWh for the injection by the seller in excess of 120% of the schedule subject to a limit of ex-bus generation corresponding to 105% of the Installed Capacity of the station in a time block and 101% of the Installed Capacity over a day.

3. Additional Unscheduled Interchange Charges

(a) In terms of clause (3a) of Regulation 7 , the Additional Unscheduled Interchange Charge for over-drawal of electricity for each time-block when grid frequency is below 49.5 Hz and up to 49.2 Hz shall be equivalent to 40% of the Unscheduled Interchange Charge 873.0 Paise/kWh corresponding to the grid frequency of below 49.5 Hz. The Additional Unscheduled Interchange Charge for under-injection of electricity for each time-block when grid frequency is below 49.5 Hz and up to 49.2 Hz shall be equivalent to 20% of the Unscheduled Interchange Charge of 873.0 Paise/kWh corresponding to the grid frequency of below 49.5 Hz.

Provided that the Additional Unscheduled Interchange Charge for over-drawal of electricity for each time-block when grid frequency is below 49.2 Hz shall be equivalent to 100% of the Unscheduled Interchange Charge 873.0 Paise/kWh corresponding to the grid frequency of below 49.5 Hz. The Additional Unscheduled Interchange Charge for under-injection of electricity for each time-block when grid frequency is below 49.2 Hz shall be equivalent to 40% of the Unscheduled Interchange Charge of 873.0 Paise/kWh corresponding to the grid frequency of below 49.5 Hz.

(b) In terms of clause (3b) of Regulation 7, the Additional Unscheduled Interchange Charge for under-injection of electricity during the time-block when grid frequency is below 49.5 Hz and up to 49.2 Hz for the generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel shall be equivalent to 20% of the UI Cap Rate of 403.0 Paise/kWh.

Provided that the Additional Unscheduled Interchange Charge for under-injection of electricity during the time-block when grid frequency is below 49.2 Hz for the generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel shall be equivalent to 40% of the UI Cap Rate of 403.0 Paise/kWh.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT III/4/150/10-Exty.]

Note : The principal regulations were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 30-3-2009.